

20.11.17


कोई उपाय नहीं। वादी एवं अन्य  
आभिशपक को कई बार आवाजे  
लगावाई गयी। बार-बार आवाजे  
लगावाये जाने के बावजूद भी

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुये

वादी व उनके अभिभाषक उपास्थित नहीं  
होये। अतः दावा वादी क्षम क्षत्री व  
क्षम क्षत्री में खारिज किया जाता  
है। पत्रावली फौजाल शुभा होकर  
दाखिल दफ्तर है।

  
उपखण्डाधिकारी  
धौलपुर (राज.)